अरस्तू का नागरिकता सिद्धांत

1.

"वह व्यक्ति नागरिक है जिसे राज्य के विचार-विमर्श एवं न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है।" नागरिक को परिभाषित करने के पहले अरस्तू इस बात को स्पष्ट करता है कि नागरिक कौन नहीं है -

1. राज्य में केवल निवास करने से कोई नागरिक नहीं हो जाता, क्योंकि दास और विदेशी राज्य में निवास तो करते हैं परन्तु उन्हें नागरिक नहीं माना जाता है।
2. कुछ कानूनी अधिकारों को प्राप्त कर कोई नागरिक नहीं कहला सकता है, क्योंकि संधि द्वारा विदेशियों को भी दूसरों पर अभियोग चलाने का अधिकार प्राप्त हो सकता है।
3. नागरिक की संतान होने से भी कोई व्यक्ति नागरिक नहीं बन जाता, क्योंकि जो प्रथम नागरिक हुआ होगा उसके माँ-बाप तो नागरिक नहीं थे।

इस प्रकार, अरस्तू के अनुसार नागरिकता का निर्धारण निवास, कानूनी अधिकार एवं जन्म के आधार पर नहीं किया जा सकता है। उसके अनुसार तो नागरिक वही व्यक्ति होता है, जो न्याय प्रशासन एवं राजकीय सेवा में भाग लेता है। अरस्तू के शब्दों में, "वह व्यक्ति नागरिक है जिसे राज्य के विचार-विमर्श एवं न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है।" इसी शब्दों में नागरिक वही है जो या तो न्यायपालिका का सदस्य है या विधायिका का। अरस्तू ने स्पष्ट कर दिया है उसकी यह परिभाषा केवल लोकतंत्र के लिए उपयुक्त है, सभी शासन प्रणालियों के लिए नहीं।

अरस्तू का यह विचार आधुनिक विचार से बिल्कुल भिन्न है। उसका नागरिक आधुनिक नागरिक

की तरह निर्वाचन के समय मतदान करने वाला नहीं बल्कि शासन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वाला, वादी-वादी से शासक तथा शासित होने वाला एवं न्याय एवं कानून निर्माण के कार्यों में भाग लेने वाला है। उसका नागरिक आर्थिक रूप से पूर्णत: स्वतंत्र होता है। वह संपत्ति का स्वामी होता है, परन्तु उसे धनोपार्जन के कार्य में व्यस्त नहीं रहना पड़ता है। उसके समस्त आर्थिक कार्यों का संपादन दासों एवं विदेशियों द्वारा किया जाता है। अतएव, उसे शासन के कार्य में भाग लेने हेतु पर्याप्त अवकाश होता है। अरस्तू की मान्यता है कि नागरिक शिक्षित, अनुभवी, योग्य और सज्जन होता है और अपने इन गुणों के कारण वह शासन कार्य में सक्रिय रूप से भाग ले सकता है।

अरस्तू ने कारीगरों, व्यापारियों, कृषकों, दासों और नारियों को नागरिकता से वंचित किया है। इसके दो कारण हैं- प्रथम, उनके जीवन में अवकाश का अभाव होता है, फलत: वे राज्य के कार्यों में भाग नहीं ले सकते। द्वितीय- वे शारीरिक परिश्रम करते हैं और शारीरिक परिश्रम आत्मा को अनुदार और उत्तम गुणों के हेतु अनुपयुक्त बना देता है। इन दो कारणों के चलते उनमें शासन करने की योग्यता नहीं होती है। अरस्तू ने उन्हें राज्य का भाग नहीं माना है। वे तो राज्य हेतु आवश्यक शर्त मात्र होते हैं। केवल नागरिक राज्य के अंग होते हैं।

अनागरिकों का मुख्य अर्थ नागरिकों की इस रूप में सेवा करना है जिससे वे सक्रिय रूप में राजनीतिक कार्य में भाग ले सकें। अरस्तू के अनुसार नागरिक साध्य है और अनागरिक उसका साधन। इस प्रकार, अरस्तू ने बहुसंख्यक श्रमजीवी वर्ग को नागरिकता से वंचित कर दिया है।

उत्तम व्यक्ति एवं उत्तम नागरिक में अंतर -

नागरिकता सम्बंधी अपनी धारणा को और भी स्पष्ट करने के लिए अरस्तू ने एक उत्तम व्यक्ति और एक उत्तम नागरिक के विभेद को स्पष्ट किया है-

i) उत्तम नागरिक अपने राज्य के अच्छे-बुरे सभी कानूनों का पालन करता है, जबकि उत्तम व्यक्ति केवल अच्छे कानूनों का पालन करता है।

ii) उत्तम नागरिक अपने राज्य की सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहता है, चाहे उसके राज्य का स्वभाव बुरा ही क्यों न हो। इसके विपरीत, उत्तम व्यक्ति अपने राज्य की सेवा तभी करता है जब राज्य श्रेष्ठ हो।

iii) उत्तम नागरिक के गुण अपने राज्य और राज्य के कानून के सापेक्ष होते हैं परन्तु उत्तम व्यक्ति के गुण निरपेक्ष होते हैं।

iv) उत्तम नागरिक शासन करना और शासित होना दोनों जानता है, जबकि उत्तम व्यक्ति सिर्फ शासन करना जानता है, शासित होना नहीं।

आलोचना:-

i) यह आधुनिक समानता के मूल्य के अनुरूप नहीं है

Scanned with CamScanner

ii.– ~~नागरिक~~ नागरिकता की बहुत ही संकीर्ण विचारधारा है। प्रजातंत्र ही नहीं राजतंत्र की दृष्टि से भी संकीर्ण है।

iii. यह अरस्तू द्वारा प्रतिपादित राज्य के आंगिक प्रकृति के विरुद्ध है क्योंकि राज्य के एक महत्वपूर्ण भाग जिसमें महिलाएँ, बच्चे तथा दास आते हैं, उन्हें नागरिकता से अलग रखा गया है।

* Dr. Akhlakh Ahmad
(Asst. Prof.)
Dept. of Pol. Sc.
D.K. College, Dumraon.

Scanned with CamScanner